

मत्स्य निदेशालय
नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,
बिहार, पटना।

सेवा में,

संयुक्त मत्स्य निदेशक (मु०),
मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना।

मत्स्य/पटना, दिनांक 09.02.2026

विषय :

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना के तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजनान्तर्गत कुल ₹1499.900 लाख (चौदह करोड़ निन्यानबे लाख नब्बे हजार रुपया मात्र) की लागत पर स्वीकृत "मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना" हेतु तृतीय चरण में कुल ₹524.965 लाख (पाँच करोड़ चौबीस लाख छियानबे हजार पाँच सौ रुपया) मात्र का आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत संलग्न विवरणी-1 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय को वहन करने हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या--6एस0एस0(6)04/2025-2050 दिनांक-08.05.2025 के आलोक में "मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना" हेतु स्वीकृत ₹1499.900 लाख (चौदह करोड़ निन्यानबे लाख नब्बे हजार रुपया मात्र) मात्र के अन्तर्गत तृतीय चरण में कुल ₹524.965 लाख (पाँच करोड़ चौबीस लाख छियानबे हजार पाँच सौ रुपया) मात्र का आवंटन, व्यय का वहन करने हेतु आवंटित किया जाता है।

- इस आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में माँग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-101-अंतर्देशीय मछलीपालन, उप शीर्ष-0104-तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड 02-2405001010104 के तहत विषय शीर्ष-0104.33.01-सब्सिडी मद के अंतर्गत विकलित किया जाएगा।
 - योजनान्तर्गत आवंटित राशि को बी0एल0डी0ए0 के पी0एल0 खाता में संचित कर व्यय की जाएगी जिसे लक्ष्यानुसार जिलों को अंतरित किया जाएगा।
 - वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि0(2) दिनांक 17.04.1998, वित्त विभाग का पत्रांक 345 दि0 25.03.2021 (जिसके तहत योजनान्तर्गत उपबंधित राशि से अधिक व्यय निषेध होगा) के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा :-
 - निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग-1 के नियम-475 का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक करें, ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं हो।
 - आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी0भी0 नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें अन्यथा इसकी सारी जबाबदेही आपकी होगी।
 - वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 25.03.2026 तक अवश्य भेज दें।
 - राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जाएगा।
 - निकासी की गई राशि का विस्तृत विपत्र निर्धारित अवधि में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को विधिवत समर्पित किया जाएगा।
- अनुलग्नक :- विवरणी-1 (एक प्रति)

विश्वासभाजन

निदेशक मत्स्य


ज्ञापांक : म०/बजट-04/202582...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 09.02.2026 /

प्रतिलिपि : विवरणी-1 की प्रति के साथ महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म०/बजट-04/202582...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 09.02.2026 /

प्रतिलिपि : विवरणी-1 की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक मत्स्य,


ज्ञापांक : म०/बजट-04/202582...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 09.02.2026 /

प्रतिलिपि : विवरणी-1 की प्रति के साथ जिला पदाधिकारी, (सभी)/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक मत्स्य,


ज्ञापांक : म०/बजट-04/202582...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 09.02.2026 /

प्रतिलिपि : विवरणी-1 की प्रति के साथ विभागीय योजना एवं बजट शाखा, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग/संयुक्त मत्स्य निदेशक (सभी)/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/रोकड़पाल, मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक मत्स्य,


ज्ञापांक : म०/बजट-04/202582...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 09.02.2026 /

प्रतिलिपि : विवरणी-1 की प्रति के साथ सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म०/बजट-04/202582...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 09.02.2026 /

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे अनुलग्नक सहित विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्रवाई की जाए।


निदेशक मत्स्य

✓

अनुलग्नक-1

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना के तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजनान्तर्गत "मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना" हेतु आवंटन।

(राशि लाख में)

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	माँगा संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-101-अंतर्देशीय मछलीपालन, उप शीर्ष-0104-तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड 02-2405001010104 के तहत विषय शीर्ष-0104.33.01-सस्मिडी मद		मत्स्य परिवहन वाहन योजना के तहत श्री-व्हीलर वाहन-आईस बाक्स सहित		वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कुल स्वीकृत राशि	कुल वर्तमान आवंटन (35 प्रतिशत)	योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि को बीएलडीएण के पीएलएण खाता में संचित कर व्यय किया जाएगा।
		मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट योजना	वर्तमान आवंटन (35 प्रतिशत)	वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु स्वीकृत राशि	वर्तमान आवंटन (35 प्रतिशत)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	निदेशक मत्स्य	698.90000	244.61500	801.00000	280.35000	1499.90000	524.96500	

₹524.965 लाख (कुल पाँच करोड़ चौबीस लाख छियानवे हजार पाँच सौ रु०) मात्र।

निदेशक मत्स्य